

01/09/2014 3:11 PM FAX

0001

प्रण: संख्या-1

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा, 34.3 के अन्तर्गत संस्थाओं का पंजीकरण (18 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं की संस्थाओं का) पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिये आवेदन पत्र

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी/निदेशक,
महिला/समाज कल्याण
उत्तराखण्ड।

संख्या.....

दिनांक

महोदय/महोदय

मैं किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधित अधिनियम 2006 की धारा-34.3 के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत/निर्गत करने के लिए अपनी संस्था के बारे में निम्नलिखित सूचना/विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

1. संस्था का नाम
2. संस्थाध्यक्ष का नाम.....
(क) आयु.....
(ख) पूर्ण पता.....
3. संस्था के पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पता दूरभाष/फैक्स संख्या
4. शाखा/इकाई का पूरा पता जहाँ वास्तविक योजना कार्यान्वित की जा रही है।.....
(क) आवासीय क्षमता (संस्था की).....
(ख) विगत 03 वर्षों में संस्था में निरूह रहे संवासिनियों/संवासियों की वर्षवार औसत संख्या (नाम व पता संलग्न करें).....
5. संस्था का विगत 03 वर्षों का वित्तीय लेखा (आय-व्यय एवं बैलेंस सीट/प्राप्ति एवं भुगतान विवरण चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रवृत्त/प्रस्तुत किये जाने वर्षवार).....
6. संस्था द्वारा संचालित विभिन्न इकाइयों के अलग-अलग आय-व्यय विवरण.....
7. संस्था/गैर सरकारी संगठन (जो भी लागू हो उस पर सही का निशान लगायें).....
(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या 21 तन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकरण एक संस्था है।
(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक लोक न्यास है.....

सोसाइटी/फर्म के उस
अधि गरी का किसी
राजपत्रित अधिकारी द्वारा
सत्य रूप से सत्यापित
फोटोग्राफ जो उक्त
सोसाइटी/फर्म के वित्तीय
बैंक खाते का संचालन
करता हो।

कमरा-

01/09/2014 9:12 PM FAX

-2-

- (ग) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा-25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है.....
- (घ) भारतीय रजिस्ट्रार एक कम्पनी है.....
- (ङ) कोई अन्य संगठन (रजिस्ट्रीकरण का विवरण उस अधिनियम के नाम के साथ जिले सरकार द्वारा इस योजना के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की गई है) (रजिस्ट्रीकरण का विवरण उस अधिनियम का नाम जिसके अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है).....
8. संस्था की स्थापना का दिनांक.....
9. रजिस्ट्रीकरण संख्या और दिनांक.....
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाय)
10. बालक/बालिकाओं के लिये संस्था की प्रकृति (किस आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं के किस-किस प्रकार की शिक्षण-प्रशिक्षण, भरण-पोषण, अगस्त धिकित्ता एवं पुनर्वासन आदि की व्यवस्था है विवरण संलग्न किये जाय).....
11. क्या अखिल भारतीय स्वरूप की संस्था ? यदि हाँ तो इसके अखिल भारतीय क्रिया-कलाप की प्रकृति लिखें.....
12. यह घोषणा की कोई भी व्यक्ति इस संस्था के साथ काली सूची में डाली गयी किसी संस्था का सदस्य नहीं रहा हो के संबंध में प्रपत्र-07 संलग्न किया जाय.....
13. संस्था की स्मृति पत्र एवं संविधान की प्रमाँ अया प्रति प्रस्तुत की जाय:-
14. संस्था के कार्य कक्षाओं का विगत 03 वर्षों की प्रगति विवरण वर्षवार संलग्न किया जाय:-
15. शासकीय संस्थाओं के लिये :-
- (1) संस्था का नाम.....
- (2) संस्था की स्थापना की तिथि.....
- (3) शासनादेश संख्या व दिनांक जिसके अन्तर्गत संस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-.....
- (4) संस्था की स्वीकृत क्षमता.....
- (5) विगत 03 वर्ष की संवासियों की धरदार औसत संख्या(संदासियों/संवासिनियों की कुल संख्या का विवरण संलग्न किया जाय).....
- (6) किस आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिए स्वीकृत है.....
- (7) संस्था में किस-किस संवर्ग के कितने पद सृजित/स्वीकृत हैं का विवरण संलग्न किया जाय.....
- (8) संस्था की स्वीकृत क्षमता के अनुसार भवन की उपयुक्तता का विवरण.....
- (9) संस्था का नाम व पूरा पता (यदि दूरभाष है तो संख्या).....

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनायें/विवरण सत्य हैं और वे मूल दस्तावेज पर आधारित हैं और कुछ छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो आवेदक के विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

संलग्नक :- यक्षोपरि:-
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम.....
पद नाम.....
संस्था की मोहर.....

01-09-2014 3:13 PM FAX

0003

प्रपत्र संख्या-7

घोषणा पत्र

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा, 34.3 के अन्तर्गत संस्थाओं का पंजीकरण हेतु प्रारूप-1 के साथ संलग्नक।

प्रमाणित किया जाता है कि.....

.....(संस्था का नाम) को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, और न उसका कोई पदाधिकारी अध्यक्ष या सचिव या मुख्य अधिकारी (चाहे इसे जिस भी नाम से पदाविहित किया जाय) या कोषाध्यक्ष पूर्व में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाली गयी किसी संस्था का पदाधिकारी रहा है।

* यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संस्था में या संस्था के पदाधिकारियों/प्रबंधन के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

अध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मोहर

सचिव के हस्ताक्षर
व मोहर

कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मोहर

दिनांक
संस्था की मोहर

0004

01-09 2014 3:13 PM FAX

समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2006 की धारा-34.3 के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के पंजीकरण हेतु निम्न अभिलेख उपलब्ध कराये जाने आवश्यक है :-

- 1- संस्था की शासी निकाय की प्रमाणित सूची (List of Governing body)
- 2- संस्था के संगम ज्ञापन की प्रमाणित सूची (Memorandum of Association)
- 3- संस्था का सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980 का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- 4- संस्था में विगत तीन वर्षों के आय व्यय की प्रमाणित प्रति।
- 5- संस्था में विगत तीन वर्षों में निवासरत लाभार्थियों की औसत संख्या वर्षवार
- 6- संस्था में वर्तमान में निवासरत लाभार्थियों की प्रमाणित सूची।
- 7- संस्था के पदाधिकारी / कार्मिकों की प्रमाणित सूची (List of Office Bearers)
- 8- संस्था की विगत तीन वर्षों की प्रमाणित उपलब्धियाँ।
- 9- संस्था की स्वीकृत छमता।
- 10- संस्था के भवन, फर्नीचर आदि की स्थिति।